तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम तारीख हुक्म में ज
08/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प उपरेडा में पेश हुई। अप्रार्थी स्वयं हाजिर। प्रार्थी हाजिर नहीं। प्रार्थी अधि0 हाजिर नहीं। अप्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। अप्रार्थिया द्वारा निवेदन किया कि मैं गरीब एवं वृद्ध महिला हूँ, मेरा जीवन यापन कृषि कार्य से ही चलता है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया गया की पत्रावली लम्बे समय से प्रार्थना पत्र बहस पर विचाराधीन है जिसे गुणावगुण पर सुनना न्यायोचित है। अप्रार्थी सं0 1 गरीब एवं वृद्ध महिला होकर विधवा है जो अपना जीवन यापन कृषि कार्य से ही करती तथा अप्रार्थीया को कृषि कार्य खाद बीज इत्यादि हेतु हर फसल पर कर्जा लेना पड़ता है, जबकि प्रार्थी सम्पन्न व्यक्ति होकर अप्रार्थीया के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर आर्थिक तंगी पैदा करना चाहता है ताकि अप्रार्थीया परेशान होकर जमीन प्रार्थी को विक्रय कर दे। अतः अप्रार्थीया के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारीज फरमाई जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। मनन किया। पत्रावली लम्बे समय से बहस प्रार्थना पत्र में लम्बित होकर चल रहा है, पत्रावली की अप्रार्थीया सं0 1 की स्थिति को देखते हुए गुणावगुण पर सुनना न्यायोचित होगा। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा0 पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रा0 प0 पर को मजमुआ आम प्रशासन गांवों के संग 2021 कैम्प उपरेडा में सुना एवं मनन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्र[illegible] अन्तर्गत धारा	

[illegible] अप्रार्थिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.20 12:56:23 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर अहकाम तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों अभिलेखित खातेदार होने से अभिलेखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09/07/2018 को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 को सारहीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09/07/2018 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल वाद संख्या 052/2018 के साथ शामिल किया रहे। यह निर्णय मजमे आम प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प उपरेड़ा में लिखाया जाकर सुनाया गया। (नीता वसीटा) सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राशमी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.10.20 12:56:23 IST
Reason: SelfAttested